न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **01/25 (वि.प्रा.पत्र)**

GCMS No : 2025/1

1. श्री रामलाल पिता नन्दा जी गाडरी आयु वयस्क निवासी वासनीमाफी, तह० मावली जिला उदयुपर (राज०)

............प्रार्थी

बनाम्

1. श्री लोगर पिता कालु जी भील आयु वयस्क निवासी वासनीमाफी, तह० मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. श्री सुन्दरलाल पिता कालु जी भील आयु वयस्क निवासी वासनीमाफी, तह० मावली जिला उदयुपर (राज०)
3. श्रीमती नारायणी (पिता कालु जी) पत्नी गमेरा भील आयु वयस्क हाल निवासी आमली, तह० मावली जिला उदयुपर (राज०)
4. श्री राजु माता गोपीबाई (पिता भगवान जी) भील आयु वयस्क निवासी वीरधोलिया, तह० घासा, जिला उदयपुर (राज०)
5. श्रीमती मन्जु माता गोपीबाई (पिता भगवान जी) भील आयु वयस्क निवासी वीरधोलिया, तह० घासा, जिला उदयुपर (राज०)
6. श्रीमती चन्दा माता गोपीबाई (पिता भगवान जी) भील आयु वयस्क निवासी वीरधोलिया, तह० घासा, जिला उदयुपर (राज०)
7. श्री बाबुलाल माता गोपीबाई (पिता भगवान जी) भील आयु वयस्क निवासी वीरधोलिया, तह० घासा, जिला उदयुपर (राज०)
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयुपर (राज०)

..............विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री शंकरलाल डांगी, अधिवक्ता प्रार्थी ।
2. श्री कुलदीप सिंह राणावत, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1, 2, 5 से 7 ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक : 29.07.2025

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा वासनीमाफी, पटवार हल्का फतहनगर, तह० मावली जिला उदयपुर (राज०) के आराजी नम्बर 449, 458, 459 किता 3 कुल रकबा 1.0117 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:08:45 IST
Reason: SelfAttested

2. यह कि मौजा वासनीमाफी, पटवार हल्का फतहनगर, तह० मावली जिला उदयपुर (राज०) में स्थित आराजी नम्बर 365, 366, 446, 447 कुल किता 04 कुल रकबा 1.6661 हैक्टेयर भूमि में विपक्षी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा, विपक्षी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा, विपक्षी संख्या 3 का 1/4 हिस्सा, विपक्षी संख्या 4 से 7 की माता गोपीबाई का 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज हैं।

3. यह कि प्रार्थी अपने खातेदारी व आधिपत्य की आराजी नम्बर 459 के पूर्व दिशा में विपक्षी संख्या 1 से 7 की खातेदारी आराजी नम्बर 447, 446, 365, 366 हैं जो मूल रास्ते से मिली हुई हैं। उक्त विपक्षीगणों की आराजीयात से प्रार्थी अपने खातेदारी व आधिपत्य की आराजी नम्बर 459 में आने जाने हेतु 30 फीट का रास्ता स्थित हैं जिसे प्रार्थी अपने खातेदारी व आधिपत्य में आता जाता हैं उक्त रास्ता आराजी नम्बर 447, 446, 365, 366 में होकर बिलानाम रास्ते से जुड़ता हैं लेकिन रास्ते की आराजीयात विपक्षीगणों के खातेदारी में दर्ज होने से विपक्षी संख्या 1 से 7 आए दिन प्रार्थी को अपनी आराजीयात में आने जाने हेतु रूकावट पैदा करते रहते हैं उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी को अपने खातेदारी व आधिपत्य की आराजीयात में आने जाने का रास्ता नहीं हैं तथा विपक्षीगणों के खातेदारी में दर्ज आराजीयात में से जो रास्ता आता हैं उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग प्रार्थी सदिप से करता चला आ रहा हैं। जिसका नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ पेश हैं जिसमें रास्ते को लाल रंग से दर्शाया गया हैं।

4. यह कि विपक्षी संख्या 1 से 7 के खातेदारी के आराजी नम्बर 446, 365, 366 के उत्तर दिशा में स्थित हैं जो प्रार्थी की आराजी नम्बर 459 में मिलता हैं तथा प्रार्थी के पास अपनी आराजी नम्बर 459, 449, 458 में आने जाने हेतु उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हैं उक्त रास्ते से ही आकर प्रार्थी ने अपने खातेदारी की आराजीयात में फसल वगैरा वर्तमान में बोई हैं लेकिन उक्त रास्ता विपक्षी संख्या 1 से 7 के खातेदारी में दर्ज होने से विपक्षीगण आए दिन प्रार्थी को जलील व परेशान करते हैं तथा रास्ते को अपने खातेदारी में होने से बन्द कर देते हैं। जिससे मुझ प्रार्थी को काफि परेशानी होती हैं। इसलिये प्रार्थी अपनी आराजीयात में आने जाने हेतु लगभग 30 फिट के रास्ते की भुमि को रास्ता कायम कराने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत किया जा रहा हैं तथा प्रार्थी रास्ते के उपयोग में आने वाली भुमि की किमत डी.एल.सी. की रेट अनुसार न्यायालय द्वारा जो भी तय की जावेगी वह विपक्षी संख्या 1 से 7 को अदा करने को तैयार हैं इसलिये विपक्षी संख्या 1 से 7 के खातेदारी की आराजीयात में स्थित रास्ते

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:08:45 IST
Reason: SelfAttested

की भुमि को विपक्षी संख्या 1 से 7 के खातेदारी से कम कर बिलानाम रास्ता कायम कराया जाना आवश्यक हैं।

5. यह कि विपक्षी संख्या 1 से 7 प्रार्थी से आए दिन उक्त रास्ते की भुमि को लेकर झगड़ा करते हैं। तथा उक्त रास्ते की भुमि का उपयोग उपभोग करने में रूकावट पैदा करते हैं। इसलिये विपक्षी संख्या 1 से 7 के विरूद्ध स्थगन आदेश इस आशय का जारी कराया जावें कि प्रार्थी के खातेदारी व आधिपत्य की आराजीयात जो प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर 1 में वर्णित हैं जिसमें आने जाने में विपक्षी संख्या 1 से 7 के खातेदारी की आराजी नम्बर 366, 365, 446, 447 के उत्तर दिशा में सदिप से बना रास्ता जो संलग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही से बताया गया हैं जिसका उपयोग उपभोग प्रार्थी को करने देवें, न उक्त रास्ते की भुमि को विक्रय हस्तानान्तरण करें, न रास्ते की भुमि में फसल बोवे, उक्त कार्य न तो विपक्षीगण स्वयं करे न अपने परिवारजनों, नौकर चाकर, एजेन्ट इत्यादि से करावें। प्रार्थी का प्राईमाफैसी केश हैं व सुविधा संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में हैं। स्थगन ओदश विपक्षीगणों के जारी होने से विपक्षीगणों को कोई नुकसान व क्षति नहीं होगी बल्कि स्थगन आदेश जारी नहीं होने से प्रार्थी को भारी नुकसान व क्षति होगी जिसका मुल्यांकन नकदी में किया जाना संभव नहीं हैं।

6. यह कि प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 20.12.2024 को पैदा हुआ जब प्रार्थी के खातेदारी की आराजीयात में आने जाने हेतु विपक्षीगणों के खातेदारी में स्थित रास्ते को बन्द करने की धमकी दी तब पैदा होकर निरन्तर जारी हैं।

7. अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी के पक्ष में व विपक्षीगणों के विरूद्ध निम्न आशय का आदेश प्रदान कराया जावें कि उक्त वर्णित प्रार्थी के खातेदारी की आराजी नम्बर 459, 449, 458 में आने जाने हेतु विपक्षी संख्या 1 से 7 के खातेदारी के आराजी नम्बर 447, 446, 365, 366 के उत्तर दिशा में आने जाने हेतु प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शाये हुए 30 फिट चौड़े रास्ते की भुमि को विपक्षी संख्या 1 से 7 के खातेदारी से कम कर बिलानाम रास्ता कायम किया जावें उक्त भुमि में कायम किया गया रास्ता राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में भी रास्ता अमल दरामद कर तरमिम किये जाने हेतु विपक्षी संख्या 8 को आदेशित किया जावें व रास्ते में आने वाली भुमि की किमत डी.एल. सी. की रेट से न्यायालय द्वारा जो भी तय की जावें वह राशि प्रार्थी से विपक्षी संख्या 1 से 7 को अपने अपने राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार दिलाई जावें। विपक्षीगणों के विरूद्ध इस आशय का स्थगन आदेश जारी फरमाया जावें कि प्रार्थी के खातेदारी व आधिपत्य की आराजीयात जो प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर 1 में वर्णित हैं जिसमें आने जाने में विपक्षी [illegible] खातेदारी की आराजी नम्बर 446, 447,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:08:45 IST
Reason: SelfAttested

365, 366 के उत्तर दिशा में सदिप से बने रास्ते का उपयोग उपभोग प्रार्थी को करने देवें। उक्त रास्ते की भुमि को विपक्षीगण विक्रय हस्तानान्तरण नहीं करें, न रास्ते की भुमि में फसल बोवें, न रास्ते की भुमि का उपयोग उपभोग करने में प्रार्थी को कोई रूकावट पैदा करें, न रास्ता बन्द करें, उक्त कार्य न तो विपक्षीगण स्वयं करे न अपने परिवारजनों, नौकर चाकर, एजेन्ट इत्यादि से करावें।

8. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 3, 4 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। शेष विपक्षीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा वासनीमाफी में आराजी नम्बर 449, 458 एवं 459 कुल किता 3 कुल रकबा 1.0117 हेक्टेयर जमीन जरूर स्थित है परन्तु उस पर जाने हेतु मार्ग प्रार्थी व उसके परिवार की अन्य आराजीयात में से होकर मौजूद है, उसी का उपयोग–उपभोग प्रार्थी कर रहा है। मौजा वासनीमाफी में आराजी नम्बर 365, 366, 446 व 447 कुल किता 4 कुल रकबा 1.6661 हेक्टेयर भूमि स्थित नहीं है जबकि विपक्षी संख्या के खाते में कुल किता 17 आराजीयात होकर कुल रकबा 4.2210 हेक्टेयर है तथा उसमें विपक्षी संख्या 1 का 1/4 हक व हिस्सा जरूर निहित है। आराजी नम्बर 459 के पूर्व दिशा में प्रार्थी ने विपक्षी संख्या 1 से 7 की आराजी नम्बर 365, 366, 446 एवं 447 बतायी है। जबकि प्रार्थी की आराजी नम्बर 459 पर जाने हेतु प्रार्थी अपनी खातेदारी की आराजी नम्बर 458 व उसके बाद कुए से होकर आराजी नम्बर 452 किस्म रास्ते पर बने हुए रास्ते से होकर आराजी नम्बर 498 किस्म रास्ते पर बने हुए रास्ते से होकर आराजी नम्बर 528 से होकर मुख्य रास्ता हाईवे आराजी नम्बर 575 पर मिलता है इसका उपयोग व उपभोग प्रार्थी व उसके आसपास के सभी खेत वाले कर रहे हैं एवं राजस्व नक्शे को देखने से ही स्पष्ट है फिर भी प्रार्थी ने जानबूझकर आराजी नम्बर 459 मेंआने–जाने हेतु 30 फिट चौडा रास्ता विपक्षीगण की आराजी नम्बर 447, 446, 365 एवं 366 में से मांगा है जो नहीं दिया जा सकता है क्योंकि प्रार्थी के पास पूर्व से ही वैकल्पिक मार्ग मौजूदा है जिसका वह उपयोग व उपभोग कर रहा है एवं प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र के साथ जो नजरी नक्शा लगाया है वह भी गलत बनाया है तथा वास्तविकता से परे जाकर जो नजरी नक्शा बनाया है वह मान्य नही होने से उक्त प्रार्थना पत्र काबिल निरस्त के है। प्रार्थी ने जानबूझकर विपक्षीगण की आराजी नम्बर 446, 365, 366 में रास्ता नजरी नक्शे में दर्शाया है जबकि उसके पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है जिसका वह उपयोग व उपभोग कर रहा है तथा प्रार्थी अपनी आराजी नम्बर 459, 449, 458 पर जाने हेतु प्रार्थी अपनी खातेदारी की आराजी न[illegible] व उसके बाद कुंए से होकर आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:08:45 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर 452 किस्म रास्ते पर बने हुए रास्ते से होकर आराजी नम्बर 498 किस्म रास्ते पर बने हुए रास्ते से होकर आराजी नम्बर 528 से होकर मुख्य रास्ता हाईवे आराजी नम्बर 575 पर मिलता है इसका उपयोग व उपभोग प्रार्थी व उसके आसपास के सभी खेत वाले कर रहे हैं एवं राजस्व नक्शे को देखने से ही स्पष्ट है एवं आराजी नम्बर 458 से लगती हुई आराजी नम्बर 457, 456, 455 प्रार्थी की खातेदारी की है जिससे भी प्रार्थी अपनी जमीन पर आ जा रहा है फिर भी केवलमात्र विपक्षीगण अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं उन्हें परेशान करने के लिए यह गलत प्रार्थना पत्र पेश किया है क्योंकि विपक्षीगण की जमीन के पास प्रार्थी व उसके परिवार वालों की जमीन आ गई है। इस कारण विपक्षीगण जो अनसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं उनकी जमीनों को हडपने के लिए यह गलत प्रार्थना पत्र गलत आधारों पर पेश किया है ताकि विपक्षीगण जो गरीब तबके के व्यक्ति हैं उनको परेशान करके ओने पौने दामों पर जमीन खरीदकर इन्हें बेघर कर सके इस कारण यह झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिल निरस्त के है। विपक्षी संख्या 1 से 7 की जमीन पर प्रार्थी कभी नहीं आया न ही कोई रास्ता विपक्षीगण की जमीन में मौजूद है फिर भी प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण पर झूठे आरोप लगाये गये हैं जबकि प्रार्थी अपनी आराजी नम्बर 449, 458 व 459 पर आने जाने हेतु अन्य वैकल्पिक मार्ग का उपयोग–उपभोग कर रहा है जो मार्ग हाईवे से जुडा हुआ है फिर भी प्रार्थी विपक्षीगण की जमीन में से मार्ग लेने हेतु यह गलत प्रार्थना पत्र पेश किया है जो स्पष्ट रूप से बेबुनियाद होने से काबिल निरस्त के है। प्रार्थी का कोई प्राइमाफेसी केस नहीं है तथा सुविधा सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता मौजूद है जिसका वह उपयोग व उपभोग कर रहा है तथा विपक्षीगण को परेशान करने के लिए विपक्षीगण की जमीन में से गलत रास्ते का क्लेम किया है इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जाना आवश्यक है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत आधारों पर होने से एवं वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होने से सव्यय खारिज फरमाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे। ताईद में शपथ पत्र पेश है।

9. तहसीलदार मावली से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार मावली की रिपोर्ट अनुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार मौजा वासनीमाफी प.ह. फतहनगर की आराजी नम्बर 449, 458, 459 खातेदार रामलाल पुत्र बन्दा हिस्सा पूर्ण जाति गाडरी सा. देह दर्ज रिकार्ड है। राजस्व रिकार्ड अनुसार मौजा वासनीमाफी प.ह. फतहनगर की आराजी नम्बर 365 रकबा 0.1133, आ.न 366 रकबा 0.1862, आ.न. 446 रकबा 0.0529, आ.न. 447 रकबा 1.3137 हेक्टेयर भूमि खातेदार गोपीबाई [illegible], लोगर, सुन्दरलाल पिता कालू हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:08:45 IST
Reason: SelfAttested

प्रत्येक 1/4 दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी खातेदार श्री रामलाल पुत्र नन्दा के आराजी संख्या 449, 458, 459 में जाने का कोई बिलानाम रास्ता दर्ज रिकार्ड नहीं है अर्थात प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है एवं खातेदार को इसकी अत्यधिक आवश्यकता है। मौजा बडियार की आराजी नम्बर 449, 458, 459 में आने जाने हेतु विपक्षीगण की आराजी नम्बर 365 रकबा 0.1133 में से 0.0162. आराजी नम्बर 366 रकबा 0.1862 में से 0.0172, आ.न. 446 रकबा 0.0529 किस्म खण्डा में से 0.0095, आ.न. 447 रकबा 1.3137 में से 0.0165 हेक्टेयर भूमि किता 4 रकबा 0.0594 हेक्टेयर भूमि रास्ता हेतु प्रस्तावित की गई है। रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक फतहनगर अनुसार मौके पर वादी ने 30 फीट चौडे रास्ते की बजाय 12 फीट रास्ता कायम करने हेतु निवेदन किया गया है। उक्त रास्ता न्यूनतम दूरी वाला होकर अपनी खातेदारी भूमि में जाने का प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य न्यूनतम दूरी वाला रास्ता उपलब्ध नहीं हो सकता है। तहसीलदार की रिपोर्ट के साथ संलग्न तहसील राजस्व लेखाकार की रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम वासनीमाफी पटवार हल्का फतहनगर तहसील मावली की आराजी संख्या 366 रकबा 0.1862 हैक्टेयर में से 0.0172 हैक्टेयर, आराजी संख्या 365 रकबा 0.1133 में से 0.0162 हैक्टेयर, आराजी संख्या 446 रकबा 0.0529 किस्म खड्डा में से 0.0095 हैक्टेयर तथा आराजी संख्या 447 रकबा 1.3137 में से 0.0165 हैक्टेयर भूमि किता–4 कुल रकबा 0.0594 हैक्टेयर भूमि की डीएलसी 6185000 रुपये प्रति हैक्टेयर से रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि 594 वर्गमीटर के 367389 रुपये बनते है तथा डीएलसी दर की दुगुनी दर से राशि 734778 रुपये बनती है। अतः जमा योग्य राशि 734778 रुपये है। तहसीलदार की रिपोर्ट के साथ भू–अभिलेख निरीक्षक फतहनगर की रिपोर्ट भी संलग्न की गई है।

10. अधिवक्ता विपक्षी द्वारा तहसीलदार की रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने अपनी खातेदारी आराजी नम्बर 449, 458 एवं 459 पर जाने हेतु विपक्षीगण की आराजी नम्बर 446, 447, 365 एवं 366 में से 30 फिट चौडा रास्ता कायम किये जाने हेतु निवेदन किया जिस पर आप न्यायालय द्वारा तहसीलदार मावली को लिखा गया कि प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता मौजूद है या नहीं इसकी जांच कर व दोनों पक्षों की मौजूदगी में मौके की रिपोर्ट बना डी.एल.सी दर सहित रिपोर्ट पेश करें। आपके आदेश की पालना में तहसीलदार साहब मौके पर नहीं आये तथा पटवारी हल्का को मौके पर भेज दिया गया एवं विपक्षीगण ने मौके पर प्रार्थी की आराजी नम्बर 449, 459 व 458 पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता मौजूद होना बताया था जिसका उपयोग व उपभोग प्रार्थी व उसके परिवार वाले [illegible] हैं एवं उक्त वैकल्पिक रास्ता मौके पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:08:45 IST
Reason: SelfAttested

मौजूद था तथा राजस्व नक्शे में भी वैकल्पिक रास्ता बना हुआ है तथा उक्त रास्ता जमाबन्दी में भी दर्ज है परन्तु प्रार्थी पटवारी हल्का से मिलकर विपक्षीगण की जमीन में से नया रास्ता लेने की गलत रिपोर्ट बनायी है। जबकि विपक्षीगण की जमीन में से कोई रास्ता मौजूद नहीं है तथा प्रार्थी की जमीन पर जाने हेतु रास्ता मौजूद होते हुए भी पटवारी हल्का ने रिपोर्ट में उस रास्ते का कोई जिक्र नहीं किया है एवं तहसीलदार साहब ने भी पटवारी हल्का के बताये अनुसार रिपोर्ट पेश कर दी जो गलत होकर काबिल निरस्त है। तहसीलदार साहब कभी भी मौके पर नहीं आये तथा न ही रास्ता जो प्रार्थी उपयोग व उपभोग कर रहा है उसका हवाला अपनी रिपोर्ट में नहीं दिया है जबकि प्रार्थी अपनी आराजी नम्बर 449, 458 व 459 पर अपनी पत्नी की खातेदारी आराजी नम्बर पर से होकर आराजी नम्बर 452 किस्म रास्ता में से होकर आराजी नम्बर 498 किस्म रास्ता में से होकर अन्य रास्ते की आराजी से होकर मुख्य सडक से आ जा रहा है, एवं राजस्व नक्शे व जमाबन्दी को देखने से भी स्पष्ट है कि मौके पर प्रार्थी अन्य रास्ते का उपयोग व उपभोग कर रहा है परन्तु जानबूझकर पटवारी हल्का ने उक्त रास्ते को अपनी रिपोर्ट में नहीं दर्शाया है व केवलमात्र नजदीक का रास्ता लेने हेतु प्रार्थी ने विपक्षीगण की जमीन को बताया जिसे पटवारी हल्का ने आंख मुंदकर अपनी रिपोर्ट में लिख दिया जो कि मौके की वास्तविक स्थिति के परे है।

11. यह कि मौके की वास्तविक रिपोर्ट हेतु न्यायालय द्वारा तहसीलदार को नियुक्त किया गया था परन्तु तहसीलदार साहब स्वयं मौके पर नहीं आकर आने अधिनस्थ कर्मचारी को भेज दिया जबकि उन्हें स्वयं को आकर पक्षकारों की मौजूदगी में वास्तविक रास्ते की रिपोर्ट करनी थी परन्तु उन्होने अधिनस्थ के बताये अनुसार आप न्यायालय को रिपोर्ट प्रेषित कर दी जो कि कानून के विपरीत है। जबकि प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। तहसीलदार साहब स्वयं को मौके पर आना चाहिए था एवं विपक्षीगण द्वारा जो मौके पर आपत्ति की गयी थी एवं रास्ता उसका उपयोग प्रार्थी कर रहा है बताया गया था उसे मौके की रिपोर्ट में लेना चाहिए था परन्तु अधिनस्थों ने प्रार्थी के कहे अनुसार गलत रिपोर्ट बना दी एवं उस रिपोर्ट को तहसीलदार साहब ने आगे प्रेषित कर दी इसलिए उक्त रिपोर्ट को रेकर्ड पर नहीं लिया जाकर पुनः तहसीलदार को दोनों पक्षों की मौजूदगी में व प्रार्थी की जमीन पर जाने वाले समस्त रास्तों को अपनी रिपोर्ट में दर्शाते हुए सही रिपोर्ट बनाने हेतु तहसीलदार को भेजा जाना आवश्यक है। अंत में निवेदन किया कि उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पूर्व रिपोर्ट दिनांक 16–06–2025 को रेकर्ड से हटायी जाकर दोनों पक्षकारों की मौजूदगी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 13:08:45 IST
Reason: SelfAttested

में तहसीलदार मावली स्वयं को मौके पर भेजकर प्रार्थी की जमीन पर जाने वाले रास्तों की वास्तविक रिपोर्ट बनाकर मंगवाई जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

12. अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी की भूमि पर जाने के लिए रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थी रास्ते की भूमि की नियमानुसार राशि प्रदान कर रास्ता कायम करवाना चाहता है। अंत में निवेदन किया कि तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित निकटतम रास्ते हेतु आदेश प्रदान करावें। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया की तहसीलदार मावली द्वारा रिपोर्ट तैयार नही कर अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई है। रिपोर्ट पुनः मंगवाई जावे। प्रार्थी की भूमि पर आने जाने हेतु रास्ता उपलब्ध है। विपक्षीगण की भूमि में से कभी रास्ता नही रहा।

13. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। न्यायालय का निष्कर्ष है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए अनुसार नवीन रास्ता स्वीकृत करने से पहले यह समाधान होना आवश्यक है कि प्रार्थी की भूमि पर पहुंचने के लिये कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है साथ ही नवीन रास्ता निकालने/चौड़ा करने की आत्यन्तिक आवश्यकता (Absolute Necessity) होनी चाहिये, न कि केवल सुविधाजनक स्थिति के लिये और द्वितीय यह कि विशेषकर नवीन रास्ते के प्रकरण में वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होना चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में विपक्षीगण का कथन है कि विपक्षीगण की भूमि में से कभी कोई रास्ता नही रहा है और प्रार्थी की भूमि पर आने जाने का वैकल्पिक रास्ता पूर्व से उपलब्ध है। रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा तैयार नही की गई है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि रास्ते संबंधी रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का द्वारा तैयार की जाती है। इस प्रकरण में भी रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार की गई है। रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की भूमि पर आने जाने हेतु कोई मार्ग उपलब्ध नही है तथा निकटतम रास्ता ही प्रस्तावित किया गया है। रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व सूचना पत्र जारी किए गए थे। विपक्षीगण को मौके पर उपस्थित होना चाहिए था। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्ति स्वीकार योग्य नही पाई जाती है।

ग्राम वासनीमाफी पटवार हल्का फतहनगर तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 183 पर दर्ज आराजी नम्बर 449, 458, 459 प्रार्थी के नाम खातेदारी अधिकार से दर्ज है। प्रार्थी की खातेदारी आराजी नम्बर 449, 458, 459 एवं मुख्य रास्ते के मध्य [illegible] की आराजी नम्बर 365, 366, 446,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:08:45 IST
Reason: SelfAttested

447 स्थित हैं। इस प्रकार प्रार्थी को अपनी आराजीयात पर जाने के लिए कोई और रास्ता नही होकर सहज एवं सुलभ रास्ता विपक्षीगण की आराजी नम्बर 365, 366, 446, 447 में से होकर जाता हैं। तहसीलदार मावली एवं भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की भूमि पर पहुंचने के लिए अन्य कोई रास्ता नही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानो के अनुसार निकटतम रास्ता ही दिया जा सकता हैं। इस प्रकार तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित चौड़ाई 12 फिट के निकटतम रास्ते का रकबा 594 वर्गमीटर भूमि बनती है। प्रार्थी उक्त रास्ते की नियमानुसार राशि प्रदान कर रास्ता कायम करवाना चाहता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ता चाहने की आत्यन्तिक आवश्यकता (Absolute Necessity) प्रतीत होती है। चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए एवं राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग क्रमांक प.13(52)राज–6/12/4 दिनांक 14.06.2013 के अनुसार यदि आवेदक को मार्ग की आवश्यकता है एवं खातेदार को उसकी जोत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव है तो उक्त स्थिति में राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उप नियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई कृषि भूमि दरों का दुगुना प्रतिकर लिया जाकर रास्ता प्रदत्त किया जावे। तहसीलदार राजस्व लेखाकार की रिपोर्ट अनुसार डीएलसी 6185000 रुपये प्रति हैक्टेयर से रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि 594 वर्गमीटर के 367389 रुपये बनते है तथा डीएलसी दर की दुगुनी दर से राशि 734778 रुपये बनती है। अतः जमा योग्य राशि 734778 रुपये है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

:: आदेश ::

अतः विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आपत्ति तहसीलदार रिपोर्ट खारिज किया जाता है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर आदेश दिए जाते है कि ग्राम वासनीमाफी पटवार हल्का फतहनगर तहसील मावली की आराजी नम्बर 365 रकबा 0.1133 हैक्टेयर में से 0.0162 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 366 रकबा 0.1862 में से 0.0172 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 446 रकबा 0.0529 में से 0.0095 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 447 रकबा 1.3137 में से 0.0165 हैक्टेयर अर्थात् कुल रास्ते में प्रयुक्त होने वाली 594 वर्गमीटर भूमि जो संलग्न नक्शा ट्रेस में नीले रंग से दर्शायी गई है को बिलानाम गै.मु.रास्ता घोषित किया जाता है। साथ ही तहसीलदार मावली को आदेश दिए जाते है कि उक्त रास्ते हेतु प्रयुक्त भूमि की कुल कीमत 3,67,389/– का दुगुना 7,34,778/– रूपयें अक्षरे सात

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 13:08:45 IST
Reason: SelfAttested

लाख चौतीस हजार सात सौ अठन्तर रूपयें राशि प्रार्थी से वसूल कर नियमानुसार विपक्षी संख्या 1 से 7/खातेदारो को क्षतिपूर्ति के रूप में उनके हिस्से अनुसार देने के पश्चात् ही इस भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें। विपक्षीगण/खातेदारो द्वारा उक्त राशि नहीं लेने पर नियमानुसार राजकोष में जमा की जावें। इस रास्तें पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा, केवल आने जानें हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 29.07.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर (FT)
मावली, जिला उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:08:45 IST
Reason: SelfAttested